संख्या- 105/2022/209/71-3-2022-11/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 26 जुलाई, 2022**

विषयः-हृदय रोग संस्थान, कानपुर में पृथक कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-हरोस/2022-23/792, दिनांक **09**.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के लिए आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 द्वारा 200 शैय्याओं के सुपर स्पेशिएलिटी संस्थान में कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के गठन हेतु पदों का मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग हेतु 162 पद **(सीधी भर्ती/प्रोन्नति (नियमित) तथा आउटसोर्स के 140 पद अर्थात् कुल 302 पदों को संलग्न तालिका के अनुसार, (बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए),** निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त पदों पर भर्ती एन0एम0सी0 के मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा। उक्त पदों पर नियुक्ति योग्यता के अनुरूप की जाये।
2. पदों के पदनाम, वेतनमान आदि का निर्धारण नियमानुसार समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही किया जाए।
3. उक्त के अतिरिक्त पदों पर भर्ती समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सृजित किये जा रहे पदों के संदर्भ में संशोधन इत्यादि की आवश्यकता होने पर सुस्पष्ट प्रस्ताव 01 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए।
6. उक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय नियमानुसार सुसंगत मद से वहन किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 में उल्लिखित मानदण्डो/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-" के सुसंगत वित्तीय मदों के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-105/2022/209/71-3-2022-11/2020, दिनांक 26 जुलाई, 2022 का संलग्नक।

(अ)सीधी भर्ती/प्रोन्नति (नियमित)

(समूह-क)					
क्रमांक	**पदनाम**	**शासनादेश दि0 16.09.2021 के मानकीकरण के अनुसार सृजित किये जाने पदों की संख्या**	**ग्रेड-पे (रूपये)**	**7 वां वेतनमान(रूपये)**	**पे लेवल (7 वां पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	प्रोफेसर कार्डियक एनेस्थिसिया	05	10000	1,44,200	14
2	एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियक एनेस्थिसिया	05	9000	1,31,400	13ए1
3	असिस्टेण्ट प्रोफेसर कार्डियक एनेस्थिसिया	01	7000	68,900	11
	योग-	**11**			
	समूह-ख				
1	सीनियर रेजीडेण्ट कार्डियक एनेस्थिसिया	27	6600	67,700	11
2	सिस्टर/एस0आर0 नर्सिंग आफिसर	05	4800	47,600	8
3	स्टाफ नर्स/नर्सिंग आफीसर	105	4600	44,900	7
	योग-	**137**			
	समूह-ग (तकनीकी संवर्ग)				
1	फार्मासिस्ट	02	2800	29,200	5
	योग-	**02**			
	समूह-ग (गैर तकनीकी संवर्ग)				
1	स्टोर कीपर	03	1900	19,900	2
	रिकार्ड क्लर्क	09	1900	19,900	2
	योग	**12**			
	कुल योग-(समूह-क, ख, ग)	**162**			

(ब)**आउटसोर्स-**

क्र0सं0	**समूह**	**पदनाम**	**शासनादेश दि0 16.09.2021 के मानकीकरण के अनुसार पदों की संख्या**	**मानदेय**
1	2	3	4	5
1	समूह-ख	मेडिकल सोशल	05	सुसंगत शासनादेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		वर्कर/पी0आर0ओ0		क्रम में समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
2	समूह-घ (नान टेक्नीकल)			
1		लेबोरेटरी अटेण्डेण्ट	10	
2		टेक्नीशियन (कार्डियक एनेस्थिसिया)	15	
3		चपरासी	05	
4		क्लास 4वर्कर्स पेशेन्ट हेल्पर	60	
5		सेनेटरी वर्कर/स्वीपर	30	
6		सिक्योरिटी वर्कर	15	
		योग-	**140**	

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।